हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्मिक विभाग (नि0–III)

संख्याः पीईआर (एपी)–सी–ए (3)–1/2010. तारीख शिमला–2, 14 सितम्बर, 2011.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में लिपिक, वर्ग–III, (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–I के अनुसार सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना।	1.	(1)	इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, लिपिक, वर्ग–III, (अराजपत्रित) सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है।
		(2)	ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
		(3)	ये नियम, हिमाचल प्रदेश राज्य के समस्त सरकारी विभागों को लागू होंगे : परन्तु हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन समय–समय पर जारी लिपिक के पदों के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमों में उपबंधित सीधी भर्ती की पद्धति प्रवर्तन में नहीं रहेगी : परन्तु यह और कि ये नियम विधान सभा सचिवालय/हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पदों को लागू नहीं होंगे।
निरसन और व्यावृत्तियां।	2.	(1)	इस विभाग की अधिसूचना संख्या : पी0ई0आर0 (ए0पी0–सी) ए (3)–2/99 तारीख 13 अप्रैल, 2007 द्वारा अधिसूचित कार्मिक विभाग(नियुक्ति–III) लिपिक/आशुटंकक/सांख्यिकी सहायक, वर्ग–III (अराजपत्रित) सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 का उस विस्तार तक, निरसन किया जाता है जहां तक कि ये लिपिक के पद से सम्बन्धित हैं।
		(2)	ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (I) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

मनीषा नन्दा
प्रधान सचिव (कार्मिक),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

2.

उपाबन्ध–"I"

हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में लिपिक, वर्ग–III (अराजपत्रित) पद के लिए सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1. पद का नाम : लिपिक

2. पदों की संख्या : जैसी सम्बद्ध विभागों में सरकार द्वारा समय–समय पर मंजूर की गई है और मंजूर की जाए।

3. वर्गीकरण : वर्ग–III (अराजपत्रित) (लिपिक वर्गीय सेवाएं)

4. वेतनमान :
(I) नियमित पदधारियों के लिए पे बैण्ड :
5910–20200 रूपए
जमा 1900/– रूपए ग्रेड पे।
(II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां:
7810/– रूपए प्रतिमास (स्तम्भ संख्याः 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।)

5. "चयन" पद अथवा "अचयन" पद : अचयन।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु : 18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/ स्वायत निकायो में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे /किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/ स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :

<u>क) अनिवार्य अर्हता:</u>

(i) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/ विश्वविद्यालय से 10+2 की परीक्षा पास की हो या इसके समकक्ष हो।

(ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में कम से कम तीस शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो।

(iii) कम्पयूटर पर 'शब्द प्रसंस्करण' का ज्ञान रखता हो जैसा भर्ती प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाए।

ख) वांछनीय अर्हता (एं) :
हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं :	आयु : लागू नहीं शैक्षिक अर्हताएं : जैसी उपर्युक्त स्तम्भ संख्या–7 और नीचे स्तम्भ संख्या 11 में विहित हैं।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो :	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10.	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता :	(i) सत्तर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15– क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे। (ii) हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से दस जमा दो की अर्हता रखने वाले नियमित वर्ग–IV कर्मचारियों में से बीस प्रतिशत सीमित सीधी भर्ती द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या दैनिक भोगी या संविदा के आधार पर की गई लगातार सेवा को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर यथास्थिति सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15–क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तो द्वारा विनियमित होंगे। (iii) दस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा होने पर यथास्थिति, सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15–क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तो द्वारा विनियमित होंगे।
11.	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा :	(i) हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से दस जमा दो की अर्हता रखने वाले वर्ग–IV कर्मचारियों में से बीस प्रतिशत सीमित सीधी भर्ती द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या दैनिक भोगी या संविदा के आधार पर की गई लगातार सेवा को सम्मिलित करके पांच वर्ष का सेवाकाल हो। पात्र वर्ग–IV कर्मचारियों को सीधी भर्ती के मामले में यथा लागू हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा संचालित की जाने वाली अंग्रेजी टंकण में कम से कम तीस शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में कम से कम पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति के साथ टंकण परीक्षा भी पास करनी होगी। (ii) वर्ग–IV कर्मचारियों में से दस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिन्होंने मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/ विश्वविद्यालय से दस

जमा दो की परीक्षा पास की हो या इसके समकक्ष हो और जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो:

परन्तु यदि वर्ग–IV का कोई कर्मचारी मैट्रिक या मैट्रिक (अंग्रेजी) सहित हिन्दी रत्न की अर्हता के साथ, लिपिक के पद पर प्रोन्नति के लिये अन्यथा पात्र हो जाता है,तो उसे प्रोन्नत कर दिया जाएगा परन्तु उसे तीन वर्ष के भीतर दस जमा दो स्तर की अर्हता प्राप्त करनी होगी। यदि अभ्यर्थी 31.12.2011 तक दस जमा दो की अर्हता प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसे लिपिक से वर्ग–IV कर्मचारी के पद पर पदावनत कर दिया जाएगा:

परन्तु यह और कि उपरोक्त परन्तुक, मैट्रिक या इसके समकक्ष की अर्हता रखने वाले ऐसे वर्ग–IV कर्मचारियों, को 10 प्रतिशत कोटा के अन्तर्गत् लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिए अपात्र नहीं बनाएगा जो 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् वर्ग–IV के संवर्ग (काडर) में थे:

परन्तु लिपिक के रूप में प्रोन्नत सभी ऐसे वर्ग–IV कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान अंग्रेजी टंकण में कम से कम तीस शब्द प्रति मिनट की गति से या हिन्दी टंकण में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण परीक्षा पास करनी होगी, जो सम्बद्ध विभागों द्वारा संचालित की जाएगी और पदधारियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे। यदि अभ्यर्थी विहित अवधि के भीतर टंकण परीक्षा उतीर्ण करने में असफल रहते हैं तो उनकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा दी जाएगी। इस अवधि के दौरान पदधारियों को एक और अवसर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी बढ़ाई गई अवधि में भी टंकण परीक्षा पास करने में असफल रहते हैं तो वे लिपिक से वर्ग–IV कर्मचारी के पद पर पदानवत कर दिए जाएंगे।

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिये वर्ग– IV के कर्मचारियों की उनके सेवाकाल के आधार पर उनकी संवर्गवार पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची विहित की जाएगी :

क (1) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक क (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो:

परन्तु यह और कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I:– उपर्युक्त परन्तुक क (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II :– उपर्युक्त परन्तुक क (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:–

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप–मण्डल।

3. रोहड़ू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त रेणुकाजी तहसील के भलाड़–भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल–बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उपतहसील के गाड़ा गुसैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्दर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामण, देवगढ़, ट्राईला, रोपा, कथोग, सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ़, थाच–बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्त से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रकिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसारण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

<u>स्पष्टीकरण</u>:– अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन–टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत् भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत् वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत् भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत् वरीयता लाभ दिए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना :	जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।
13.	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14.	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा :	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15.	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :	सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/

पाठ्यक्रम, इत्यादि यथास्थिति, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15—क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन। इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः—

(I) <u>संकल्पना</u> :

(क) इस पॉलिसी के अधीन __________ (विभाग का नाम) में लिपिक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण संतोषजनक रहा है, और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि में नवीकरण/विस्तारण किया जाएगा।

(ख) **<u>पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना</u>** :

सम्बद्ध विभाग का विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तो के अनुसार किया जाएगा ।

(II) <u>संविदात्मक उपलब्धियां</u> :

संविदा के आधार पर नियुक्त लिपिक को 7810 /— रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षो), के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 240 /— रूपए की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) <u>नियुक्ति/ अनुशासन प्राधिकारी</u> :

विभाग का विभागाध्यक्ष हि0प्र0 (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम), नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) <u>चयन प्रकिया</u> :

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/ पाठ्यक्रम इत्यादि संबद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) <u>संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति</u> :

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय—समय पर गठित की जाए।

(VI) <u>करार</u> :

अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न <u>उपाबन्ध—"ख"</u> के अनुसार करार हस्ताक्षरित

करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें :

(क) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को 7810/– रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/ वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 240/– रूपए (पद के पे बैन्ड के न्यनूतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्व प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पद नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य /आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नही होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ड0) संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/ व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में, यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0–, एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों इत्यादि के लिए हकदार होंगे।

16	आरक्षण :	:	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय– समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17	विभागीय परीक्षा :	:	लागू नहीं।
18	शिथिल करने की शक्ति :	:	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों, के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध–"ख"

लिपिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य __________ (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति.. पुत्र/पुत्री श्री.. .... निवासी..,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'प्रथम पक्षकार'** कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य, ... (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'द्वितीय पक्षकार'** कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.............................. को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त **प्रथम पक्षकार** को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने लिपिक के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:–

1. यह कि **प्रथम पक्षकार** लिपिक के रूप में .... से प्रारम्भ होने और.......................... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात् .... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

   परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में और विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 7810/– रूपए प्रतिमास होगी।

3. **प्रथम पक्षकार** की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक लिपिक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक लिपिक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदात्मक लिपिक कर्त्तव्य (ड्यूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए, संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. **संविदा आधार पर नियुक्त लिपिक जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।**

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था, प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1...
....
....
(नाम व पूरा पता)

2...
....
....
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में :

1...
....
....
(नाम व पूरा पता)

2...
....
....
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

(Authoritative English Text of Government Notification No. Per (AP)-C-A (3)-1/2010 dated 14th September, 2011 a required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Department of Personnel (AP-III)

No. Per (AP)-C-A (3)-1/2010 Dated: Shimla-171002, 14 September, 2011.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Common Direct Recruitment and Promotion Rules for the post of Clerk, Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services in various Departments of the Government of Himachal Pradesh as per Annexure-I attached to this notification, namely:-

Short title, Commencement and application.

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Clerk, Class-III (Non-Gazetted) Common Direct Recruitment and Promotion Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

(3) These rules shall be applicable to all the Government Departments of State of Himachal Pradesh :

Provided that the method of direct recruitment provided in Recruitment and Promotion Rules for the posts of Clerk under various Departments of the Himachal Pradesh Government issued from time to time, shall cease to operate:

Provided further that these Rules shall not apply to the posts of the Vidhan Sabha Secretariat/ High Court of H.P.

Repeal and savings

2. (1) The Himachal Pradesh Class-III Services (Clerk/Steno Typist/Statistical Assistant) Common Recruitment Rules, 2007 notified vide this Department Notification No. Per (AP-C) A (3)-2/99, dated 13.4.2007, are hereby repealed to the extent these pertains to the post of Clerk.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (I) supra, shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order
Manisha Nanda
Principal Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh.

Annexure-I

Common Direct Recruitment & Promotion Rules for the posts of **Clerk in various Departments of Himachal Pradesh Government.**

1.	Name of Post	:	Clerk
2.	Number of Posts	:	As sanctioned and may be sanctioned by the Government from time to time in the concerned Departments.
3.	Classification	:	Class-III (Non-Gazetted) (Ministerial Services).
4.	Scale of Pay	:	i) Pay Band for regular incumbents: ₹ 5910-20200/- + ₹ 1900/- Grade Pay ii)Emoulments for Contract Employees: ₹ 7810/-as per details given in Col. 15-A.
5.	Whether "Selection" Post or "Non-Selection" Post ;	:	Non-Selection.
6.	Age for Direct recruitment	:	Between 18 years and 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment are relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7.	Minimum Educational and other qualifications required for direct recruitment:	a) <u>ESSENTIAL QUALIFICATION</u> : i) Should have passed 10+2 Examination or its equivalent from a recognized Board of School Education/ University. ii) Should possess a minimum speed of 30 words per minute in English typewriting or 25 words per minute in Hindi typewriting **on Computer**. iii) Should have the knowledge of 'Word Processing' in Computer as prescribed by the Recruiting Authority. b) <u>DESIRABLE QUALIFICATION (S)</u>: Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees:	Age : Not Applicable. Educational Qualifications } As Prescribed in Col. No. 7 above & in Col. No.11 below
9.	Period of Probation, if any :	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods:	i) 70% by direct recruitment on a 'regular' basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column. ii) 20% by limited direct recruitment from amongst the 'regular' Class-IV officials possessing the 10+2 qualification through competitive examination to be conducted by the H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur, having five years regular service OR regular combined with continuous service rendered on daily wages or on contract basis failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column. iii) 10% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.
11.	In case of recruitment by promotion deputation, transfer, grades from which promotion/	**i) 20% by limited direct recruitment from amongst the 'regular' Class-IV officials possessing 10+2 qualification through competitive examination to be conducted by the H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur, having five years regular service OR regular combined with continuous service rendered on daily wage or on contract basis. The eligible Class-IV officials will also**

Vol-II Page-490

	deputation/ transfer is to be made:	**qualify the typing test with the minimum speed of 30 words per minute in English Typewriting OR 25 words per minute in Hindi Typewriting to be conducted by the H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur as is applicable in case of direct recruitment.** **ii) 10% by promotion from amongst the Class-IV officials who have passed 10+2 examination or its equivalent from a recognized Board of School Education/ University and possess five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade:**

Provided that if a Class-IV official is otherwise eligible to be promoted to the post of Clerk with the qualification Matric or Hindi Rattan with Matric (English) then he/she will be so promoted but shall have to acquire the qualification of 10+2 standard within 03 years. If the candidate fails to acquire the 10+2 qualification by 31.12.2011, then he shall be reverted from Clerk to the Class-IV post:

Provided further that the above proviso shall not render such Class-IV officials having qualification of Matric or its equivalent, ineligible for promotion to the post of Clerk against 10% quota, who were in the cadre of Class-IV after attaining the age of 50 years:

Provided further that all the Class-IV officials so promoted as Clerks will qualify the typing test with a minimum speed of 30 words per minute in English Typewriting or 25 words per minute in Hindi Typewriting within the probation period which will be conducted by the concerned Departments and the incumbents will get three chances during the probation period. If the candidate fails to qualify the typing test within the prescribed period, their probation period will be extended. During this period the incumbents will get one more chance. If the candidate still fails to qualify the typing test in the extended period, they will be reverted from Clerk to Class-IV posts.

For the purpose of promotion a combined seniority of eligible Class-IV officials on the basis of length of service without disturbing their cadre wise inter-se-seniority shall be prescribed.

A (I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at-least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso A (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation:

Provided further that Officers/Officials who have not served at-least one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I: For the purpose of proviso A(I) supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II: For the purpose of proviso A(I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

1. District Lahaul & Spiti
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchyat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali- Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(I) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion

in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:-The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Services in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition:	As may be constituted by the Govt. from time to time.
13	Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment:	As required under the Law.
14	Essential requirement for a direct recruitment:	A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.
15	Selection for appointment to the post by direct recruitment;	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission OR other recruiting authority, as the case may be.

15-A

Selection for appointment to the post by contract appointment:

Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT

(a)Under this policy the Clerk in Department of _____________(Name of the Department) H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee

is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HP SSSB :-
The HOD (Designation of the appointing authority) after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:
The Clerk appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹ 7810 P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ₹ 240 (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY:

The Head Of the Department (Designation of the appointing authority) H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considerd necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. HPSSSB.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMENT:

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹ 7810 P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹ 240 (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a

		Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner. (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale. (h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.
16	Reservation;	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17	Departmental Examination	Not Applicable.
18	Power to Relax;	Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission, relax any of the provision (s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post (s).

****

ANNUEXURE-"B"

Form of contract/agreement to be executed between the clerk (Name of the post) and the Government of Himachal Pradesh through ______________ (Designation of the Appointing Authority).

This agreement is made on this ______________day of ______________in the year______________ Between Sh./Smt. ______________S/o/D/o Shri______________ R/o ______________

Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor of Himachal Pradesh through ______________ (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Clerk on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Clerk for a period of 1 year commencing on day of ______________and ending on the day of ______________ It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ______________ And information notice shall not be necessary:

   Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ₹ 7810/-per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Clerk will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Clerk. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Clerk will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. Clerk appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1...
....
....
(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. ....

....

....

(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1..

....

....

(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2. ....

....

....

(Name and Full Address)

*****